न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 36/2015

चौथमल पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
—आवेदक

वनाम

1. नाथू पुत्र रामदेवा
2. सुरेशकुमार पुत्र नाथू जाति ब्राहमण निवासीगण नांगल तहसील उदयपुरवाटी
3. गीतादेवी पुत्री नाथू पत्नि त्रिलोकचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोलिडा तहसील व जिला सीकर
4. सीतादेवी पुत्री नाथू पत्नि मंगलचन्द जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोलिडा तहसील व जिला सीकर
5. कमलादेवी पत्नी सुरेशकुमार जाति ब्राहमण निवासी नांगल तहसील उदयपुरवाटी
6. भानीराम पुत्र बद्रीप्रसाद जाति माली निवासी ढाणी ढेढा वाली वार्ड नं. 1 उदयपुरवाटी
7. उप पंजियक नवलगढ तहसील नवलगढ
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा
अं.धारा 212 व अं.आदेश 39 नियम 1 व 2
तथा धारा 151सीपीसी

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री. अशोक कुमार जांगिड
ऐडवोकेट अना0 नं. 1, 2, 4व6 :— श्री चन्द्रकांत शर्मा
ऐडवोकेट अना0 नं. 3:— श्री दीपेन्द्रसिंह जाखड

आदेश

दिनांक 29.07.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 714 रकबा 10 बीघा 14 बिश्वा, ख.न. 715 रकबा 10 बीघा 6 बिश्वा कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा जिसके नये ख.न. 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1528/1.31, 1531/0.94, 1532/0.13, 1650/0.10, 1651/1.11, 1656/0.04, 1657/1.14 किता 10 कुल रकबा 6.37 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी पूर्व में आवेदक व अनावेदकगण सां0 2 लगायत 4 के दादा स्व0 रामदेवा पुत्र दुला जाति ब्राहमण निवासी नांगल के नाम दर्जशुदा थी, जो स्व0 रामदेवा को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई थी। स्व0 रामदेवा के स्वर्गवास सं0 2025 में होने पर उक्त भूमि अनावेदक सं0 1 नाथू व उसके भाई रामोतार को जरिये नामा0सं0 145 के प्राप्त हुई थी। नामा0सं0 329 दिनांक 02.09.1996 के द्वारा विभाजन होने पर उपरोक्त भूमि ख.न. 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1657/1/1.06, 1531/0.94, 1532/0.13, 1650/0.10 किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 भूमि की खातेदारी अनावेदक सं0 1 के नाम दर्जशुदा है तथा ख.न. 1528, 1650, 1651, 1656, 1657/2 किता 5 कुल रकबा 2.64 है0 की खतेदारी स्व0 रामोतार के वारिसान के नाम दर्जशुदा है। इस प्रार्थना पत्र में केवल नाथू के हिस्सा की भूमि ख.न. 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1657/1/1.06, 1531/0.94, 1532/0.13, 1650/0.10 किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 का ही विवाद है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित भूमि आवेदक व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त की पैत्रिक भूमि रही है, पैत्रिक प्रकृति में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हर पुत्र—पुत्री पौत्र—पौत्रियों का जन्म के साथ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

नवलगढ

Scanned by CamScanner

ही हक हिस्सा होता है।आवेदक स्व0 रामदेवा का पौत्र है तथा नाथू का पुत्र है। नाथूराम के तीन पुत्र व दो पुत्रियां पैदा हुई है जिनमें एक पुत्र रामनिरंजन काफी वर्षो पूर्व रामेश्वर पुत्र झूथाराम के गोद चला गया गोद जाने पर रामनिरंजन ने सम्पूर्ण हक अधिकार अपने जायन्दा पिता नाथू की सम्पति में अब कोई हक अधिकार शेष नही रहे है। नाथू के दो पुत्र व दो पुत्रियां ही शेष रही हैं जिसमे नाथू के साथ वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि ख.न. 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1657/1/1.06, 1531/0.94, 1532/0.13, 1650/0.10 किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम टोडपुरा का राजस्व रिकार्ड अनावेदक सं0 1 के नाम से दर्ज शुदा चला आ रहा है उक्त भूमि आवेदक व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 4 की पैत्रिक भूमि है जिसमें आवेदक व अनावेदकगण सं0 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है तथा सभी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है इसी हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित पैत्रिक भूमि होने के कारण आवेदक व अनावेदकगण सं0 2 लगायत 4 भी अनावेदक सं0 1 के जीवनकाल में हक हिस्सा प्राप्त करने व बंटवारा कराने के अधिकारी हैं। राजस्व रिकार्ड अनावेदक नं. 1 के नाम से दर्ज होने के कारण अनावेदक सं0 1 के मन में बेईमानी आ गई और अनावेदक सं0 2 के बहकावे में आ गया और अनावेदक सं0 1 को गुमराह कर दिनाकि 27.02.2015 को अनावेदक सं0 1 को गुमराह कर दिनांक 27.02.2015 को अनावेदक सं0 5 के नाम वादग्रस्त भूमि में से ख.न. 1525, 1526, 1527, 1532 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 भूमि सम्पूर्ण का तथा दिनांक 0712.2012 को अनावेदक सं0 6 के नाम वादग्रस्त भूमि में से ख.न. 165/1 रकबा 1.06 है0 सम्पूर्ण का विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय नवलगढ के यहां तस्दीक व तकमील करवा दिया जबकि अनावेदक सं0 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही था तथा न ही अनावेदक सं0 1 को अपने हक हिस्सा 1/5 से अधिक भूमि का विक्रय पत्र करने का था क्योंकि भूमि ख.न. 1525, 1526, 1527, 1532 कुल किता 4 कुल रकबा 1.73 है0 में अनावेदक सं0 1 का हिस्सा 1/5 था उससे अधिक भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। परन्तु अनावेदक सं0 2 के बहकावे में आकर उपरोक्त दोनो विक्रय पत्रों को तस्दीक व तकमील करवा दिया। जब आवेदक को पता चला तो आवेदक ने अपने पिता भाई व बहिन से बातचित की और कहा कि आवेदक व अनावेदक सं0 1 लगायत 4 के मध्य पहले से ही वाद न्यायालय में विचाराधीन है, आप लोग जान बूझकर वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर रहे हो तो कहा कि राजस्व रिकार्ड आवेदक नं.1 के नाम दर्ज रिकार्ड है हक इस भूमि को दूसरों व अनावेदक सं0 2 की पत्नी अनावेदक सं0 5 के नाम कुछ भूमि का विक्रय पत्र करवा दिये हैं शेष रही का भी विक्रय पत्र करवा देंगे। इसलिये अनावेदकगण सं0 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि की किस्म वैगरह परिवर्तित नही करे तथा अन्य को विक्रय पत्र या दान पत्र आदि नही करे। अनावेदक सं0 7 को पावन्द किया जावे कि अनावेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संवंध मे प्रस्तुत विक्रय पत्र, दान पत्र आदि तस्दीक नही करें।

आवेदंक का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है अगर आवेदक का प्रार्थनापत्र स्वीकार नही किया गया तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अनावेदकगण सं0 1 लगायत 6 भूमि ख.न. 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1657/1/1.06, 1531/0.94, 1532/0.13, 1650/0.10 किता 6 कुल रकबा 3.73 है0 वाके ग्राम टोडपुरा में आवेदक का हिस्सा 1/5 पर कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं पैदा करे अथवा न अपने अधिनस्थ नौकर चाकर प्रतिनिधि संबंधि आदि से करवायें। अनावेदक सं0 7 को पावन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि संबंधि किसी प्रकार के विक्रय पत्र या दान पत्र न तो स्वयं करे न अपने किसी अन्य संबंधी से करवायें। अनावेदक सं0 7 को पावन्द किया जावे कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र, दान पत्र न तो स्वयं तस्दीक करे अथवा न अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवायें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 7 व 8 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक नं. 3 की और से वकील श्री दीपेन्द्रसिंह जाखड का वकालतनामा व इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अनावेदकगण नं. 1, 2, 4 लगायत 6की और से वकील श्री प्रदीपकुमार शर्मा का वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि ग्राम टोडपुरा की तन में भूमि ख.न. 714, 715 स्थित होना स्वीकार है, भूमि की खातेदारी पूर्व में रामदेव के नाम दर्ज है। ख.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

न. 1525, 1526, 1527, 1528, 1531, 1532, 1650, 1651, 1656, 1657 स्थित होना स्वीकार है, ख.न. 1525, 1526, 1527, 1657/1, 1531, 1532 जबाबदेहन्दा के नाम से है मौके पर काश्त व कब्जा भी नाथूराम का ही है।आवेदक ने गलत वंशावली पेश की है। रामदेवाराम के नाथू रामोतार के अलावा श्रवणी व भगवती दो पुत्रियां थी, जिनको पक्षकार नही बनाया गया है जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे यह तथ्य गलत है कि रामनिरंजन काफी वर्ष पूर्व रामेश्वर पुत्र झूंथा के गोद चला गया हो रामनिरंजन कभी गोद नही गया ना ही कभी गोद की कोई रश्म हुई ना ही गोद का कोई रीति रिवाज हुआ यह भी गलत है कि रामेश्वर की सम्पति रामनिरंज़न को मिली हो, यह गलत है कि 1/5, 1/5 हिस्सा हो। विवादित भूमि से जबाबदेहन्दा के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना नही है ना ही काश्त व कब्जा है ना ही पैत्रिक सम्पति है ना ही 1/5, 1/5 हिस्सा है ना ही आवेदक व अनावेदक नं. 2 लगायत 4 जबाबदेहन्दा के जीवनकाल में बंटवारा करवाने के अधिकारी है। जबाबदेहन्दा विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उसको घरेलू जायज व रूपयों की आवश्यकता थी इसलिये उसने विधि अनुसार अनावेदक नं. 5 व 6 को खतेदारी की भूमि विकय कर विकय पत्र तस्दीक करवाया दिया जो सही व विधि अनुसार करवाया है जिस पर बाद खरीद केतागण काश्त व काबिज है। आवेदक जब तक सक्षम न्यायालय से विकय पत्रों को निरस्त नही करवा लेता वह कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बाद खरीद अनावेदक नं. 5 व 6 ने रजिस्टर्ड विकय पत्रों के आधार पर नामा0 हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा व मौके की जांच कर नामा0 भी अनावेदक नं. 5 व 6 के हक में तस्दीक कर दिया। इस प्रकार अनावेदक नं. 5 व 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इससे भी यह स्पष्ट है कि आवेदक का कोई काश्त व कब्जा नही है इस पैरा में दर्ज तमाम वाकियात झूठे व मनगढंत है। जब आवेदक व अनावेदक नं. 2 लगायत 4 का इस भूमि से कोई लेना देना नही है तो उनका हिस्सा होने का सवाल ही पैदा नही होता है। आवेदक का व अनावेदक नं. 2 लगायत 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसलिये उनको खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का सवाल ही पैदा नही होता है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। यह गलत है कि भूमि अनावेदक नं. 1 को विरासत से प्राप्त हुई हो। यह भी गलत है कि अनावेदक नं. 1 लगायत 4 का 1/5, 1/5 हिस्सा हो। आवेदक ने सारे तथ्य झूठे मनगढंत व महज दावा पेश करने की गरज से लिखे हैं उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य हैं।

विवादित भूमि से संबंधित वाद उनवानी चौथमल बनाम नाथू वगैरह मु0नं0 249/12 न्यायालय में विचाराधीन है इसिलये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है। विवादित भूमि से संबंधित एक वादका निर्णय व डिक्री दिनांक 16.02.15 को पारित की गई है, जब इस भूमि का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिसकी अपील के प्रावधान है इसलिये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। जबावदेहन्दा की बहिने श्रवणी व भगवती है जो इस वाद में आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार नही बनाया गया है आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नही बनाने के कारण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुये न्यायिक दृष्टांत एआईआर 2017 एससी पेज नं. 5797 व आरएलडब्लू 2011(2)आरजे 789 (एचसी) पेश किये गये। वकील अनावेदकगण द्वारा जबाब तथ्यों को दोहराया गया तथा पूर्व के वाद सं0 249/2012 चौथमल बनाम नाथू आदि तथा प्रा0 प0 सं0 190/2012 निर्णय दिनांक 16.02.2015, निर्णय वाद सं0 173/2015 भानीराम बनाम नाथूराम आदि पेश किये गये।

बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूमि आवेदक के दादा की रही है। दारा रामदेव की मृत्यु संवत 2025 में हुआ। पैत्रिक भूमि है रामोतार पुत्र रामदेवा की भूमि का कोई विवाद नही है। राजस्व रिकार्ड नाथू के नाम है, दिनांक 07.12.2012 को अप्रार्थी नं. 6 के नाम विकय पत्र करवाया है। भूमि पैत्रिक होने से 1/5 हिस्सा से अधिक का अधिकार नही था। नानू द्वारा प्रस्तुत जबाब में रामनिरंज के गोद होना वर्णित किया गया जिसे पक्षकार नही बनाये जाने की आपति होने का कथन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि दिनांक 16.02.2015 को मु0सं0 190/12 टीआई का फैसला किया है इसी कोर्ट ने टीआई खारिज की थी पुनः नया दावा पेश किया है भूमि समान है तथा पक्षकार भी समान होने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी ने वकील अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश करने के संबंध में विधिक आपति करते हुये कहा कि बिना आवेदन दस्तावेज पेश नही कर सकते।

वकील अप्रार्थी ने जबाब में निवेदन किया कि इसी न्यायालय के दस्तावेज हैं, न्यायालय स्वयं रिकार्ड तलब कर सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दस्तावेज पेश कर सकते हैं।

वकील अप्रार्थी ने पुनः आपति की कि अन्य न्यायालय के भी दस्तावेज हैं अतः पेश नही कर सकते।

वकील प्रार्थी ने अंतिम बहस में रिपिटल में निवेदन किया कि बहस में सभी तर्क जबाब से बाहर के हैं जबाब में आपति नही की अतः जबाब से बाहर नया तथ्य पेश नही कर सकते।

वकील अप्रार्थी ने जबाब में निवेदन किया कि इसी न्यायालय के दस्तावेज हैं, न्यायालय स्वंय रिकार्ड तलब कर सकती है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में दस्तोवज पेश कर सकते हैं।

वकील प्रार्थी ने पुनः आपति की कि अन्य न्यायालय के भी दस्तावेज हैं, अतः पेश नही कर सकते हैं।

वकील प्रार्थी ने अंतिम बहस में रिपिटल में निवेदन किया कि बहस में सभी तर्क जबाब से बाहर के हैं। जबाब में आपति नही की अतः जबाब से बाहर नया तथ्य नही पेश कर सकते।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी आपति का निस्तारण किया जाना उचित समझता हूं। पूर्व वाद के निर्णय संबंधी तथ्य अप्रार्थी सं0 1 के जबाब के अतिरिक्त उतर में अंकित है इसी से संबंधित दस्तावेज पेश किये गये हैं अतः वकील अप्रार्थी की आपति खारिज कर दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है।

वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यो पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय को तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– बहस के दौरान वकील अनावेदकगण द्वारा न्यायालय हाजा के वाद सं0 173/2015 निर्णय दिनांक 06.11.2017 की नकल प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अनावेदक नं. 5 को वादग्रस्त भूमि ख.न. 1531/2/0.02, 1525/0.02, 1526/1.54, 1527/0.04, 1532/0.13 में से 0.11 है0 किता 5 कुल रकबा 1.73 है0 का खातेदार काश्तकार तथा ख.न. 1657/1/1.06 है0 का अनावेदक सं0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड का अमल दरामद हो चुका है। जिसकी अपील आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में की गई अपील सं0 8/2016 का निर्णय में आवेदक को प्रभावी पक्षकार नही मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की गई है तथा मुताबिक न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 06.11.2017 के अनुसार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। शेष भूमि ग्राम भगवानपुरा के ख.न. 1531 रकबा 0.94 है0 की खातेदारी नाथू पुत्र रामदेवा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा.ग्राम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। चूंकि वादग्रस्त आराजी अनावेदक नं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। अनावेदकगण नं. 1 रिकार्डेड खातेदार हैं । वकील प्रार्थी द्वारा एआईआर 2017 सुप्रिम कोर्ट 5797 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लिखित कथन (जबाब) में लिखे गये तथ्यों से बाहर कोई तर्क आपति नही कर सकते। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र के पृष्ठ सं0 6 अतिरिक्त उतर के विन्दू सं0 1 व 2 में पूर्व वाद के निर्णय संबंधि आपति दर्ज की गई है। अतः यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चरपा नही होता। वकील प्रार्थी ने आरएलडब्लू 2011 (2) आरजे 789 (एचसी) न्यायिक दृष्टांत पेश किया है जिसके अनुसार " अपीलार्थीगण सम्पति पर काबिज है और इस सम्पति का उपयोग कर रहे हैं– चूंकि यह सम्पति विवादित है और इसका आगे अन्य संकामण करने से तृतीय पक्षकार के अधिकार उत्पन्न होंगे। जिससे अनेक जटिलतायें उत्पन्न होंगी– अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करना उचित था। " उक्त न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण में अक्षरशः चरपा नही होता है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा इसी विषय वस्तु पर पूर्व में इसी न्यायालय में दावा सं0 249/12 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सं0

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

190/2012 प्रस्तुत किया था जो निर्णित हो चुका है। अतः पुनः नये सिरे से दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश करना विधि अनुसार सही नही है। अतः प्रथम दृष्टया मामला आवेदक का नही बनता है।

2. सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति :– प्रथम दृष्टया मामला के विवेचन अनुसार इसी विषय वस्तु पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित किया जा चुका है। वादग्रस्त राजस्व रिकार्ड आवेदक के नाम नही होने से सुविधा का संतुलन आवेदक का नही है चूंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 1531/0.94 है0 की खातेदारी अनावेदक नं. 1 के नाम है अतः आवेदक को कोई अपूर्णीय क्षति नही हो रही है।

इसप्रकार उक्त तीनों बिन्दुओं के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। तथा मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-7-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़